नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
अपील संख्या 06/2022 बउनवान बाबूलाल बनाम ललीता वगैरह

09.09.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील संख्या 31/2018 बउनवान बाबुलाल बनाम ललीता वगैरह को अपीलांट एवं वकील अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं होने से दिनांक 27.03.2019 को अदम हाजरी–अदम पैरवी/पालना में खारिज कर दी गई है। उक्त मूल अपील में अपीलांट द्वारा वकील गुड़ामालानी का नियुक्त किया गया था। वकील अपीलांट द्वारा अपीलांट को मूल अपील की नियत पेशी दिनांक 27.03.2019 की सूचना नहीं दी गई, जिस कारण से अपीलांट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका व वकील अपीलांट द्वारा समुचित पैरवी नहीं करने के कारण मूल अपील को खारिज कर दिया गया है। अपीलांट वकील की उक्त गलती की सजा पक्षकार/अपीलांट को नहीं दी जाकर अपीलांट को न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। इसलिये प्रश्नगत मूल अपील को पुनः बरामद कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में हस्तगत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत मूल अपील को पुनः नम्बर पर दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

वकील प्रार्थी की धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में हस्तगत प्रार्थना–पत्र को अन्दर मियाद शुमार की जाता है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वकील की गलती की सजा पक्षकार को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा न्यायाहित में हस्तगत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत मूल अपील को गुणावगुण पर निस्तारित करने हेतु पुनः नम्बर पर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

9/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर